136
29/02/12
(08)
(30)

ए के निगम
सलाहकार (औ.सं)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली-११० ००१
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NEW DELHI-110001

अ.शा.पत्र सं हिंदी 2012/रा.भा.1/19/1 दिनांक 23. 2. 2012

प्रिय श्री वर्मा जी,

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा विभिन्न रेल कार्यालयों का निरीक्षण.

राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार की स्थिति का जायजा लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन कारखानों तथा अन्य रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है. निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा सामान्य तौर पर निम्नलिखित मुद्दे उठाए जाते हैं :-

1. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए.
2. विज्ञापनों पर किए जाने वाले खर्च की 50% राशि हिंदी के विज्ञापनों पर तथा 50% राशि अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं पर खर्च की जाए.
3. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए. जिन पत्रों का उत्तर अपेक्षित नहीं होता, उनकी भी पावती दी जाए.
4. हिंदी भाषा, टंकण, आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षित किया जाए.
5. पुस्तकालय के लिए निर्धारित कुल बजट की 50% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए.
6. कार्यालय में प्रयुक्त सभी कंप्यूटरों पर देवनागरी में काम करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा इन पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत बढ़ाया जाए.
7. सभी रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक तथा प्रविष्टियां हिंदी में हों.
8. कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए.
9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाए.

अनुरोध है कि उक्त मुद्दों को ध्यान में रखा जाए.

सादर,

आपका,

(ए के निगम)

श्री ए के वर्मा,
महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता.

General Manager, S.E. Rly., Garden Reach, Kolkata
D.S./12
27/2/12